रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3257] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2017/अग्रहायण 1, 1939
No. 3257] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017/AGRAHAYANA 1, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2017

का.आ. 3711(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमौली जिले में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश सं. 3912/14-3-35/80, दिनांक 06 सितंबर, 1982 के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था। इसका क्षेत्र लगभग 624.62 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य वनस्पति और जीवजंतुओं की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है।

और, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीवजंतुओं की कई संकटापन्न प्रजातियों का वास है । इस उद्यान में किए गए विभिन्न जीवजंतु सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप यहां 18 स्तनधारियों की उपस्थित पायी गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान के कुछ महत्त्वपूर्ण स्तनधारी हिम तेंदुआ (पंथेरा अंसिया), हिमालयन काला भालू *(सेलेंअरकटोस थीबेटनुस)*, हिमालयन ब्राउन भालू *(अरसूस अरकटोस)*, कस्तूरी हिरन *(मोसचुस चारयसोगास्टर)*, हिमालयन थार *(हेमित्रागुस जेमलाहीचुस)*, ब्लू भेड़ *(पसेयदाइस नयाअर)*, सेरो *(कापरीकोरनीस सुमतराइन्सीस)* हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाली लगभग 114 पक्षियों की प्रजातियों के साथ यह उद्यान पक्षीजीव विविधता से

समृद्ध है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र में लगभग 600 पौधों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें करीब 425 प्रजातियों डिकोट्स की, 173 मोनोकाट्स की और बाकी जेमेनोस्पर्म की हैं।

और, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 16 महत्त्वपर्ण शिखर हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। नंदा देवी के पश्चिम में 7818 मीटर ऊंचा भारत का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत भी इसी उद्यान में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की शासन देवी नंदा देवी इसी राष्ट्रीय उद्यान के पवित्र स्थान में स्थित है और इसका पूरे राज्य में बहुत अधिक सम्मान होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की कुछ महत्त्वर्ण पर्वत श्रेणियाँ मृगथुनी, त्रिशूल, ऋषि, द्रोणागिरि, कालांका, चंगबंग आदि हैं।

और, वर्ष 1934 में नंदादेवी चोटी की स्केलिंग होने तक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अनन्वेषित था और उच्च पहाड़ों और ग्लेशियरों द्वारा प्राकृतिक रूप से संरक्षित था। इसके बाद इस उद्यान में मानव क्रियाकलापों,विशेषकर पर्वातारोहण के कारण इसे पर्यावरणीय नुकसान के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ा है। वर्ष 1983 में भारत सरकार ने, इस उद्यान में तीव्र पर्यावरण अवक्रमण तथा इसके पारिस्थितिकी भंगुर क्षेत्र में गैर- जैव अवक्रमणीय कचरा डाले जाने के हानिकारक प्रभाव से सचेत होकर इस उद्यान में पर्वतारोहण और लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

अतः, अब, इसमें पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय, जीवजंतु, वनस्पति, भौगोलिक एवं प्राणी संबद्धता या इनसे संबधित या महत्त्व के कारण तथा इस अभयारण्य एवं इसके परिसर में वन्यजीवों, के संरक्षण संवर्धन या विकास के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम-3 के अनुसरण में **नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान** के क्षेत्र, जिसकी अवस्थिति और सीमा इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों, को **"पारिस्थितिकी संवेदी जोन"** (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-(क) उत्तराखंड राज्य के चमौली जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का परिधि क्षेत्र लगभग 782.55 वर्ग किलोमीटर है। 782.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 120.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन भूमि है। 33.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन पंचायत भूमि है और 628. 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवर्गीकृत भूमि है।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 0.11 किलोमीटर से 11.2 किलोमीटर तक फैला है।

(ग) इस अधिसूचना के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिंदुओ सहित इसकी सीमा और मानचित्र, इस अधिसूचना के **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न का विवरण **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से तथा इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार उसके कृत्यों के निर्वहन का विवरण होगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.–**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर, भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रहवास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा 4 में वर्णित क्रियाकलाप:

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के अन्य प्रासंगिक नियमों विनियमों एवं क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएंगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलाप का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना, पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा

		फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
(2)	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
(3)	बडी जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	ठोस अपशिष्ट के निपटान स्थल एवं ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए साझा भष्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल तथा ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान / अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है।
(7)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(8)	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		ख. विनियमित क्रियाकलाप
(9)	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजार्ट अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
(10)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 6 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और गृह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं और

		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ख) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
(11)	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
(12)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि अथवा सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
(14)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(15)	विद्युत और संचार टॉवर लगाने तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(16)	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
(18)	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(19)	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(20)	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
(21)	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(23)	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(24)	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
(25)	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(26)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(27)	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(28)	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(29)	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप		
(30)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

(31)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(37)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारि-संवेदी क्षेत्र की निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

(क)	निदेशक, नन्दादेवी बाँयोस्फियर रिजर्व	अध्यक्ष;
(ख)	जिला मजिस्ट्रेट, चमोली - उपाध्यक्ष	सदस्य;
(ग)	उप जिला मजिस्ट्रेट, जोशीमठ	सदस्य;
(घ)	उत्तराखंड़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ङ)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(च)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैवविविधता विशेषज्ञ	सदस्य;
(छ)	उत्तराखंड राज्य की प्रतिष्ठित संस्था विश्वविद्यालय से एक पारिस्थितिकी विशेषज्ञ	सदस्य-सचिव।
(ज)	वन्यजीव वार्डन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान	सदस्य;
(झ)	रेंज अधिकारी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जोशीमठ	सदस्य;
(ञ)	वन उपसंरक्षक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जोशीमठ	सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का गठन किए जाने तक होगा।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा 4-में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध III** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/05/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमंडलीय स्थित प्रणाली बिंदुओं की सीमा और मानचित्र

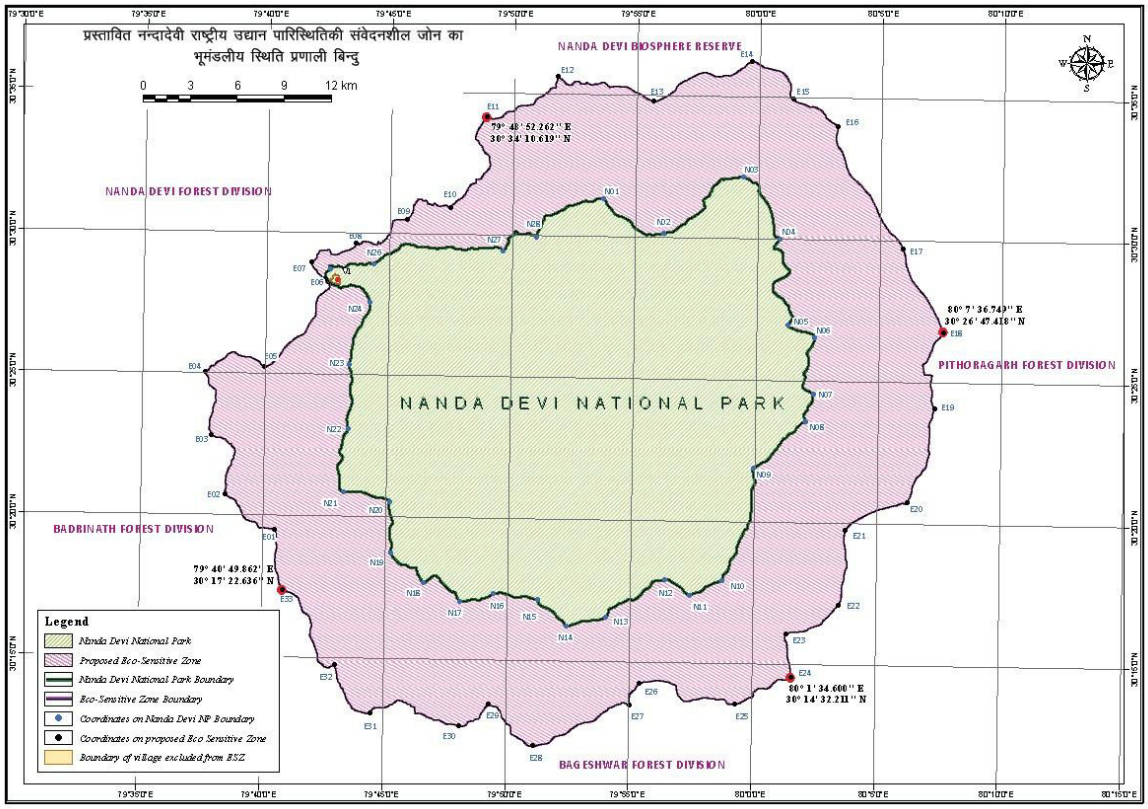

सीमा विवरण:

1. **उत्तरी सीमा**:- बगनी ग्लेशियर (पूर्व 13) के निकट गनखवी गधेरा से आरंभ होकर (पूर्व 11) की ओर जाती है इसके बाद त्रिशूली शिखर 7074 मीटर (पूर्व 15) की ओर जाती है, इसके बाद पिथौरागढ़ वन प्रभाग में मीलम ग्लेशियर (पूर्व 17) के साथ-साथ पिथौरागढ़ वन प्रभाग (पूर्व 16) की ओर पिथौरागढ़ वन प्रभाग में गौरी गंगा (पूर्व 18) तक जाती है।

2. **पूर्वी सीमा** :- पिथौरागढ़ वन प्रभाग में गौरी गंगा (पूर्व 18) से आरंभ होकर और पाचू गाड (पूर्व 19) को पार करके श्यामा खरक (पूर्व 20) की ओर जाती है इसके बाद ल्वा ग्लेशियर (पूर्व 21) के साथ-साथ बाद में नंदाकोट (पूर्व 22) के निकट पिथौरागढ़ वन प्रभाग एवं बागेश्वर वन प्रभाग (पूर्व 24) साल छनगुज ग्लेशियर दक्षिण की ओर मुडती है।

3. **दक्षिण सीमा** :- बागेश्वर वन प्रभाग (पूर्व 24) साई छनगुज ग्लेशियर से आरंभ होकर, इसके बाद मंगतोली नाला (पूर्व 26) की ओर जाती है और आगे बागेश्वर वन प्रभाग 3241 मीटर (पूर्व 27) में सुन्दरढूनं चोटी की ओर जाती है इसके बाद ग्लेशियर पर्वत शिखर 5645 मीटर की ओर जाती है आगे बागेश्वर वन प्रभाग एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग की सीमा में फैलकर थरकोट 6099 मीटर (पूर्व 29) की ओर जाती है। इसके बाद पर्वत चोटी 5275 मीटर (पूर्व 30) की ओर जाती है। इसके बाद बखुवा बेस (पूर्व 32) के निकट नंदाकिनी नदी (पूर्व 33) को पार करके जाती है।

4. **पश्चिमी सीमा**:- बद्रीनाथ वन प्रभाग, नंदाकिनी नदी (पूर्व 33), से आरंभ होकर और सप्तकुंड (पूर्व 1) तक उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद खरोलाधार 3963 मीटर (पूर्व 2) इसके बाद धरालीगढ़ 2846 मीटर (पूर्व 3) की ओर जाती है। आगे कनमुहाली (पूर्व 4) की ओर इसके बाद बुग्यालकोटी 5188 मीटर (पूर्व 5) की ओर जाती है, इसके बाद (पूर्व 6) तक पहुंचने तक उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद ऋषि गंगा (पूर्व 7) के बाएं किनारे के साथ साथ पहुंचती है। रेनी ग्राम से पहले यह लता-खताखरक ट्रेक रूट (पूर्व 8) की ओर ऋषि गंगा को पार करती है इसके बाद यह कोटीधार (पूर्व 9) की ओर मुड़कर बाद में टोलमा गधेरा (पूर्व 10) गन्खवी (पूर्व 11) पहुंचती है।

बिंदु	देशांतर	अक्षांश	विवरण
एन1	79° 53' 40.034" पू	30° 31' 21.566" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 2	79° 56' 7.567" पू	30° 30' 8.427" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 3	79° 59' 21.054" पू	30° 32' 11.817" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 4	80° 0' 53.818" पू	30° 30' 0.808" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 5	80° 1' 16.420" पू	30° 26' 58.390" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 6	80° 2' 22.166" पू	30° 26' 32.881" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 7	80° 2' 19.941" पू	30° 24' 33.657" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 8	80° 2' 1.859" पू	30° 23' 35.894" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 9	79° 59' 54.881" पू	30° 21' 55.469" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 10	79° 58' 43.883" पू	30° 17' 56.681" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 11	79° 57' 22.935" पू	30° 17' 24.169" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 12	79° 56' 24.475" पू	30° 17' 57.325" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 13	79° 53' 59.147" पू	30° 16' 34.379" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 14	79° 52' 24.670" पू	30° 16' 15.468" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 15	79° 51' 13.115" पू	30° 17' 9.824" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 16	79° 49' 23.842" पू	30° 17' 21.794" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 17	79° 48' 4.196" पू	30° 17' 4.373" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 18	79° 46' 33.142" पू	30° 17' 41.943" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 19	79° 45' 12.037" पू	30° 18' 44.368" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान

एन 20	79° 45' 8.514" पू	30° 20' 32.640" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 21	79° 43' 14.049" पू	30° 20' 52.748" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 22	79° 43' 23.778" पू	30° 23' 6.058" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 23	79° 43' 23.406" पू	30° 25' 20.862" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 24	79° 44' 12.910" पू	30° 27' 33.069" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 25	79° 42' 34.148" पू	30° 28' 44.059" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 26	79° 44' 21.786" पू	30° 28' 55.611" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 27	79° 49' 36.488" पू	30° 29' 27.989" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 28	79° 50' 58.637" पू	30° 29' 58.345" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
ई1	79° 40' 28.996" पू	30° 19' 29.592" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 2	79° 38' 24.967" पू	30° 20' 43.730" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 3	79° 37' 48.966" पू	30° 22' 48.725" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 4	79° 37' 31.768" पू	30° 25' 1.680" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 5	79° 39' 57.997" पू	30° 25' 15.275" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 6	79° 42' 22.212" पू	30° 28' 21.715" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 7	79° 41' 47.495" पू	30° 28' 57.644" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 8	79° 43' 35.637" पू	30° 29' 38.161" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 9	79° 45' 41.867" पू	30° 30' 30.040" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 10	79° 47' 26.547" पू	30° 30' 58.088" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 11	79° 48' 52.262" पू	30° 34' 10.619" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 12	79° 51' 44.086" पू	30° 35' 37.486" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 13	79° 55' 39.664" पू	30° 34' 48.759" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 14	79° 59' 38.819" पू	30° 36' 15.396" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 15	80° 1' 22.346" पू	30° 34' 57.076" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 16	80° 3' 12.741" पू	30° 34' 1.239" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 17	80° 5' 55.920" पू	30° 29' 42.624" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 18	80° 7' 36.749" पू	30° 26' 47.418" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 19	80° 7' 16.640" पू	30° 24' 5.637" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 20	80° 6' 13.525" पू	30° 20' 46.545" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 21	80° 3' 43.228" पू	30° 19' 46.267" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 22	80° 3' 26.990" पू	30° 17' 7.374" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 23	80° 1' 21.389" पू	30° 16' 5.129" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 24	80° 1' 34.600" पू	30° 14' 32.211" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 25	79° 59' 19.080" पू	30° 13' 34.909" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन

ई 26	79° 55' 25.069" पू	30° 14' 16.825" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 27	79° 55' 0.498" पू	30° 13' 28.732" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 28	79° 51' 7.633" पू	30° 12' 0.333" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 29	79° 49' 17.667" पू	30° 13' 28.150" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 30	79° 48' 6.597" पू	30° 12' 41.270" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 31	79° 44' 28.887" पू	30° 13' 4.198" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 32	79° 42' 59.319" पू	30° 14' 44.832" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 33	79° 40' 49.862" पू	30° 17' 22.636" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन

उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम निर्देशांक

बिंदु	देशांतर	अक्षांश
ई11	79° 48' 52.262" पू	30° 34' 10.6019" उ
ई 18	80° 7' 36.749" पू	30° 26' 47.418" उ
ई 24	80° 1' 34.600" पू	30° 14' 32.211" उ
ई 33	79° 40' 49.862" पू	30° 17' 22.636" उ

उपाबंध – II

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग पैटर्न

ग्राम का नाम	संभाग	सिविल / सोयम (वर्ग किलोमीटर)	आरक्षित वन (वर्ग किलोमीटर)	वन पंचायत (वर्ग किलोमीटर)	अवर्गीकृत (वर्ग किलोमीटर)	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)
1	2	3	4	5	6	7
शून्य	बद्रीनाथ वन संभाग	शून्य	83.00	शून्य	98.59	181.59
शून्य	बागेश्वर वन संभाग	शून्य	शून्य	शून्य	160.88	160.88
शून्य	नंदा देवी बायोस्फियर आरक्षित	शून्य	शून्य	शून्य	142.52	142.52
शून्य	नंदा देवी वन संभाग	शून्य	37.19	33.83	0.02	71.04
शून्य	पिथौरागढ़ वन संभाग	शून्य	शून्य	शून्य	226.53	226.53
	कुल योग		**120.19**	**33.83**	**628.54**	**782.55**

उपाबंध III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। (विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2017

S.O. 3711(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Nanda Devi National Park is situated in Distt Chamoli of Uttarkhand State. Nanda Devi National Park came into being vide Uttar Pradesh Govt. Order No. 3912/14-3-35/80 dated 06 September 1982. It has an area of about 624.62 km^2. The main objective of forming Nanda Devi National Park is to protect and conserve various species of flora and fauna. Nanda Devi National Park has been declared as World Heritage Site in the year 1988.

AND WHEREAS, Nanda Devi National Park is home to many endangered species of flora and fauna. The various faunal surveys in the park resulted in the finding of presence of 18 mammals. Some important mammals National Park are Snow Leopard (*Panthera uncia*), Himalayan Black Bear (*Selenarctos thibetanus)*, Himalayan Brown Bear (*Ursus arctos*), Musk Deer (Moschus *chrysogaster*), Himalayan Tahr (*Hemitragus jemlahicus*), Blue Sheep (*Pseudois nyaur*), Serow (*Capricornis sumatraensis*). The Park is also rich in the diversity of avifauna with nearly 114 species of birds found in the National park. Nearly 600 species of plants are known from the core zone of Nanda Devi National Park of these nearly 425 species are dicots, 173 monocots and rest are gymnosperms.

AND WHEREAS Nanda Devi National Park comprises of 16 magnificent peaks whose height is more than 6000 m. Nanda Devi West 7818 mtr. India,s second highest mountain is also situated in the Park. Goddess Nanda Devi, the reigning deity of Uttarakhand lies in Nanda Devi National Park sanctum sanctorum and is held in great reverence throughout the state. Some important mountain ranges of National Park are Mrigthuni, Trishul, Rishi, Dronagiri, Kalanka, Changbang etc.

AND WHEREAS, The Nanda Devi National was unexplored and naturally protected by high mountains and glaciers until scaling of Nanda Devi peak in 1934 . After this, the park faced serious threats of environmental degradation due to human activities, particularly mountaineering. Alarmed by the rapid environmental degradation and detrimental

impact of deposition of non-biodegradable waste in ecologically fragile landscape of Park, Government of India in 1983 imposed a complete ban on mountaineering and people's entry into park.

NOW THEREFORE, by reason of ecological, environmental, faunal, floral, geographical or zoological association or importance, for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife therein or its environment, the Central Government, in exercise of the powers conferred under by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) and as per sub-rule (3) rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, hereby notifies the area, the situation and limits of which are specified in the schedule to this notification as the **"Eco Sensitive Zone"** of the **Nanda Devi National Park** (hereinafter referred to as the Eco Sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of the Eco-Sensitive Zone

(a) The Eco-sensitive Zone around Nanda Devi National Park covers a peripheral area of about 782.55 sq kilo meter in the Chamoli District of Uttarakhand State. Out of the 782.55 sq. km. area, an area of 120.19 sq.km. is forest land, 33.83 square kilo meters is van panchayat land and 628.54 square kilo meters is unclassified land.

(c) The Eco-sensitive zone varying from 0.11 kilo meter to 11.2 kilometers.

(d) The map and boundary Global Positioning System points of Nanda Devi National Park and Nanda Devi National Park Eco-sensitive zone is appended with this notification as **Annexure I** and the detail of land use pattern of Nanda Devi National Park Eco-sensitive zone is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

1. The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

2. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

3. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment,
ii. Forest and Wildlife,
iii. Agriculture,
iv. Revenue,
v. Urban Development,
vi. Tourism,
vii. Rural Development,
viii. Irrigation and Flood Control,
ix. Municipal
x. Panchayati Raj
xi. Public Works Department,

4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

7. The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

8. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

9. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse:

a. Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

b. Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under para 4.

c. Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

d. Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

e. Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

f. Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

2. Natural water bodies: The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

3. **Tourism/ Eco-tourism:**

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

4. Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

5. Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

6. Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

7. Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

8. Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

9. Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

10. Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

11. Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

12. Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

13. E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

14. Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

15. Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

16. Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

17. Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

18. The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
	A. **Prohibited Activities**	
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-

		sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: g. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; iii. Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and v. Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
13.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law

19.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee:

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

a. The Director-Nanda Devi Biosphere Reserve – Chairman.

b. The District Magistrate, Chamoli – Vice Chairman – Member

c. The Sub District Magistrate, Joshimath – Member

d. A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Uttarakhand State– Member.

e. Regional Officer, Uttarakhand State Pollution Control Board – Member.

f. Expert in Biodiversity nominated by the state Govt.- Member

g. One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Uttarakhand – Member.

h. The Wildlife Warden, Nanda Devi National Park – Member.

i. Range Officer, Nanda Devi National Park, Joshimath– Member;

j. The Deputy Conservator of Forests, Nada Devi National Park, Joshimath–Member Secretary.

6. Terms of Reference

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2)The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the state Govt.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro- forma given at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/05/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE - I

Map and boundary Global Positioning System points of Nanda Devi National Park and Nanda Devi National Park Eco-sensitive zone

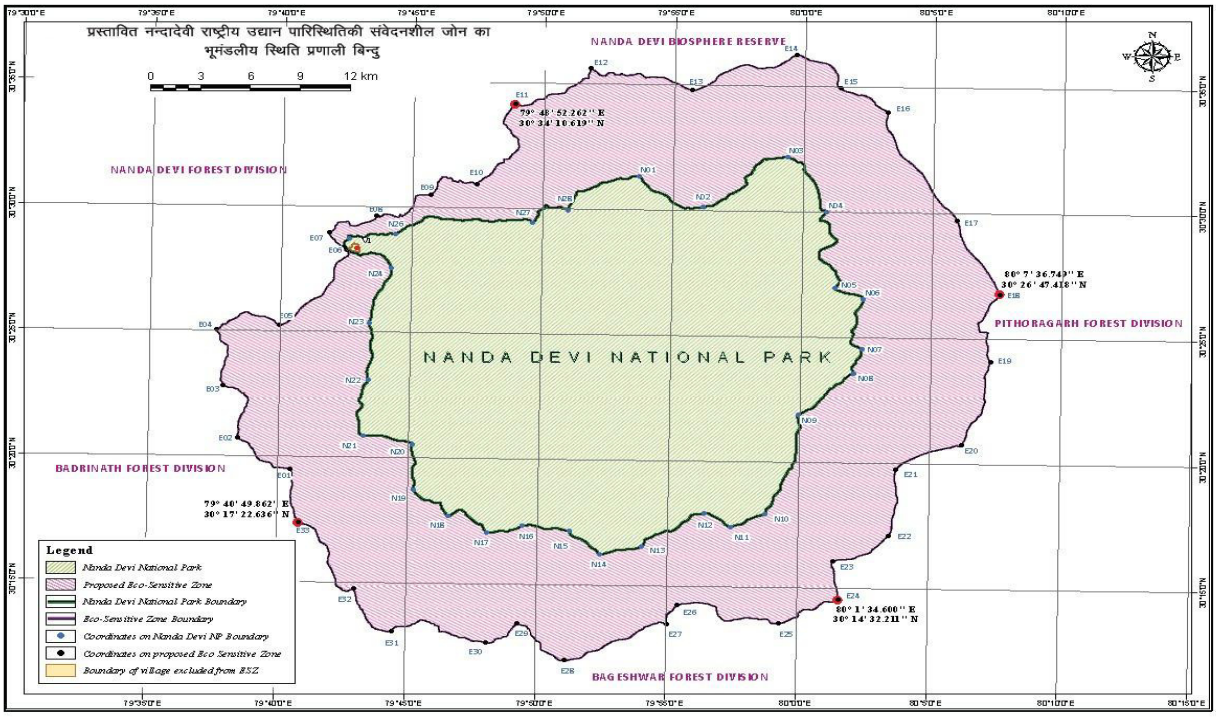

Boundary description:

1. **Northern Boundary**:- Starting from Gankhawi Gadhera (E 11) towards near Bagni Glacier point (E 13) then towards Trishuli peak 7074 m. (E 15) then towards Pitoragarh Forest Division (E 16) along the Milam Glacier (E 17) in Pithoragarh Forest Division till Gauri Ganga (E 18) in Pitoragarh Forest Division.

2. **Eastern boundary**:- Starting from Gauri Ganga (E 18) in Pithoragarh Forest Division, and crosses Pachu Gad (E 19) towards Shyama Kharak (E 20) then along Lwa Glacier (E 21), then towards the boundary of Pithoragarh Forest Division & Bageshwar Forest Division near Nandakot (E 22). Then moves Southwards towards Sal Chhanguj Glacier, Bageshwar Forest Division (E 24).

3. **Southern Boundary**:- Starting from Sai Chhanguj Glacier, Bageshwar Forest Division (E 24) then towards Mangtoli Nala (E 26) and further towards Sundardhunga peak in Bageshwar Forest division 3241m. (E 27) then towards glacier mountain peak 5645 m further towards Tharkot 6099 m (E 29) lying in the boundary of Bageshwar Forest Division & Badrinath Forest Division then towards mountain peak 5275 m (E 30). Then towards near Bakhuva Base (E 32) till it Crosses Nandakini River(E 33).

4. **Western Boundary**:- Starting from Nandakini River (E 33),Badrinath Forest Division and moving northwards till Saptkund (E 1) then towards Kharoladhar 3963m (E 2) then Dharaligad 2846m (E 3). Further towards Kanmuhali (E 4) then Bugyalkoti 5188m (E 5) then northward till it reaches (E 6) then along left bank of Rishiganga (E 7). Before Reni village it crosses Rishiganga towards Lata-Latakharak trek route (E 8) then it moves towards Kotidhar (E 9) then to Tolma Gadhera (E 10) till it reaches Gankhavi (E 11).

Points	Longitude	Latitude	Description
N1	79° 53' 40.034" E	30° 31' 21.566" N	Nanda Devi National Park
N2	79° 56' 7.567" E	30° 30' 8.427" N	Nanda Devi National Park
N3	79° 59' 21.054" E	30° 32' 11.817" N	Nanda Devi National Park
N4	80° 0' 53.818" E	30° 30' 0.808" N	Nanda Devi National Park
N5	80° 1' 16.420" E	30° 26' 58.390" N	Nanda Devi National Park

N6	80° 2' 22.166" E	30° 26' 32.881" N	Nanda Devi National Park
N7	80° 2' 19.941" E	30° 24' 33.657" N	Nanda Devi National Park
N8	80° 2' 1.859" E	30° 23' 35.894" N	Nanda Devi National Park
N9	79° 59' 54.881" E	30° 21' 55.469" N	Nanda Devi National Park
N10	79° 58' 43.883" E	30° 17' 56.681" N	Nanda Devi National Park
N11	79° 57' 22.935" E	30° 17' 24.169" N	Nanda Devi National Park
N12	79° 56' 24.475" E	30° 17' 57.325" N	Nanda Devi National Park
N13	79° 53' 59.147" E	30° 16' 34.379" N	Nanda Devi National Park
N14	79° 52' 24.670" E	30° 16' 15.468" N	Nanda Devi National Park
N15	79° 51' 13.115" E	30° 17' 9.824" N	Nanda Devi National Park
N16	79° 49' 23.842" E	30° 17' 21.794" N	Nanda Devi National Park
N17	79° 48' 4.196" E	30° 17' 4.373" N	Nanda Devi National Park
N18	79° 46' 33.142" E	30° 17' 41.943" N	Nanda Devi National Park
N19	79° 45' 12.037" E	30° 18' 44.368" N	Nanda Devi National Park
N20	79° 45' 8.514" E	30° 20' 32.640" N	Nanda Devi National Park
N21	79° 43' 14.049" E	30° 20' 52.748" N	Nanda Devi National Park
N22	79° 43' 23.778" E	30° 23' 6.058" N	Nanda Devi National Park
N23	79° 43' 23.406" E	30° 25' 20.862" N	Nanda Devi National Park
N24	79° 44' 12.910" E	30° 27' 33.069" N	Nanda Devi National Park
N25	79° 42' 34.148" E	30° 28' 44.059" N	Nanda Devi National Park
N26	79° 44' 21.786" E	30° 28' 55.611" N	Nanda Devi National Park
N27	79° 49' 36.488" E	30° 29' 27.989" N	Nanda Devi National Park
N28	79° 50' 58.637" E	30° 29' 58.345" N	Nanda Devi National Park
E1	79° 40' 28.996" E	30° 19' 29.592" N	Eco Sensitive Zone
E2	79° 38' 24.967" E	30° 20' 43.730" N	Eco Sensitive Zone
E3	79° 37' 48.966" E	30° 22' 48.725" N	Eco Sensitive Zone
E4	79° 37' 31.768" E	30° 25' 1.680" N	Eco Sensitive Zone
E5	79° 39' 57.997" E	30° 25' 15.275" N	Eco Sensitive Zone
E6	79° 42' 22.212" E	30° 28' 21.715" N	Eco Sensitive Zone
E7	79° 41' 47.495" E	30° 28' 57.644" N	Eco Sensitive Zone
E8	79° 43' 35.637" E	30° 29' 38.161" N	Eco Sensitive Zone
E9	79° 45' 41.867" E	30° 30' 30.040" N	Eco Sensitive Zone
E10	79° 47' 26.547" E	30° 30' 58.088" N	Eco Sensitive Zone
E11	79° 48' 52.262" E	30° 34' 10.619" N	Eco Sensitive Zone
E12	79° 51' 44.086" E	30° 35' 37.486" N	Eco Sensitive Zone
E13	79° 55' 39.664" E	30° 34' 48.759" N	Eco Sensitive Zone
E14	79° 59' 38.819" E	30° 36' 15.396" N	Eco Sensitive Zone
E15	80° 1' 22.346" E	30° 34' 57.076" N	Eco Sensitive Zone
E16	80° 3' 12.741" E	30° 34' 1.239" N	Eco Sensitive Zone
E17	80° 5' 55.920" E	30° 29' 42.624" N	Eco Sensitive Zone

E18	80° 7' 36.749" E	30° 26' 47.418" N	Eco Sensitive Zone
E19	80° 7' 16.640" E	30° 24' 5.637" N	Eco Sensitive Zone
E20	80° 6' 13.525" E	30° 20' 46.545" N	Eco Sensitive Zone
E21	80° 3' 43.228" E	30° 19' 46.267" N	Eco Sensitive Zone
E22	80° 3' 26.990" E	30° 17' 7.374" N	Eco Sensitive Zone
E23	80° 1' 21.389" E	30° 16' 5.129" N	Eco Sensitive Zone
E24	80° 1' 34.600" E	30° 14' 32.211" N	Eco Sensitive Zone
E25	79° 59' 19.080" E	30° 13' 34.909" N	Eco Sensitive Zone
E26	79° 55' 25.069" E	30° 14' 16.825" N	Eco Sensitive Zone
E27	79° 55' 0.498" E	30° 13' 28.732" N	Eco Sensitive Zone
E28	79° 51' 7.633" E	30° 12' 0.333" N	Eco Sensitive Zone
E29	79° 49' 17.667" E	30° 13' 28.150" N	Eco Sensitive Zone
E30	79° 48' 6.597" E	30° 12' 41.270" N	Eco Sensitive Zone
E31	79° 44' 28.887" E	30° 13' 4.198" N	Eco Sensitive Zone
E32	79° 42' 59.319" E	30° 14' 44.832" N	Eco Sensitive Zone
E33	79° 40' 49.862" E	30° 17' 22.636" N	Eco Sensitive Zone

North, South, East, West coordinates

Points	Longitude	Latitude
E11	79° 48' 52.262" E	30° 34' 10.6019" N
E18	80° 7' 36.749" E	30° 26' 47.418" N
E24	80° 1' 34.600" E	30° 14' 32.211" N
E33	79° 40' 49.862" E	30° 17' 22.636" N

ANNEXURE – II

Land use pattern of Nanda Devi National Park Eco-sensitive zone

Name of village	Division	Civil/ Soyam (Sq Km)	Reserve Forest (Sq Km)	Van Panchayat (Sq Km)	Unclassified (Sq Km)	Area (Sq Km)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Nil	Badrinath Forest Division	Nil	83.00	Nil	98.59	181.59
Nil	Bageshwar Forest Division	Nil	Nil	Nil	160.88	160.88
Nil	Nanda Devi Biosphere Reserve	Nil	Nil	Nil	142.52	142.52
Nil	Nanda Devi Forest Division	Nil	37.19	33.83	0.02	71.04
Nil	Pithoragarh Forest Division	Nil	Nil	Nil	226.53	226.53
	Grand Total		**120.19**	**33.83**	**628.54**	**782.55**

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.27 12:03:22 +05'30'